पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–14] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 फरवरी, 2013 ई0 (माघ 13, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–05

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	39–44	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	23–29	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

कार्यालय–ज्ञाप

18 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 858/X–3–2012/13(41)/2007–"संकट प्रबन्धन योजना" तैयार करने के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में राज्य में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम व नियंत्रण हेतु एक त्रिस्तरीय "संकट प्रबन्धन तंत्र" निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. राज्य स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष,
(ख) वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	–	उपाध्यक्ष,
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(च) प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(छ) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(ज) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य,
(झ) महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड	–	सदस्य,
(ञ) महानिदेशक, अग्नि एवं आपात सेवाऐं, उत्तराखण्ड	–	सदस्य,
(ट) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–	सदस्य, सचिव।

2. राज्य स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह (एस0सी0एम0जी0) के कार्य–

(अ) राज्य में वनाग्नि के नियंत्रण हेतु नीति व दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु यह सर्वोच्च निकाय होगा।

(ब) यह वनाग्नि के नियंत्रण हेतु योजनाओं व न्यूनीकरण उपायों का अनुमोदन प्रदान करेगा।

(स) यह जिला स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह व ब्लॉक स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह के कार्यों की निगरानी भी करेगा।

(2) जिला स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह–

(क) जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य,
(ग) मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य,
(घ) जिला कृषि अधिकारी	–	सदस्य,
(ङ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	–	सदस्य,
(च) जिला स्तरीय जलागम विभाग के अधिकारी	–	सदस्य,
(छ) अध्यक्ष, स्थानीय शहरी निकाय	–	सदस्य,
(ज) जिला होम गार्ड कमाण्डेन्ट एवं प्रान्तीय रक्षक दल	–	सदस्य,
(झ) जिला अग्नि एवं आपात सेवाऐं विभाग	–	सदस्य,
(ञ) प्रभागीय वन अधिकारी (जिला संयोजक)	–	सदस्य, सचिव।

जिला स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह (डी0सी0एम0जी0) के कार्य–

(अ) जनपद में वनाग्नि की बड़ी घटनाओं के समन्वय व व्यवहरण हेतु यह सर्वोच्च निकाय होगा।

(ब) ब्लॉक स्तर पर वनाग्नि की रोकथाम व नियंत्रण की कार्यवाही का सक्रिय पर्यवेक्षण करेगा तथा उन्हें पूर्ण मार्गदर्शन तथा सहयोग/सहायता देगा।

(स) यह जनपद में वनाग्नि की सभी घटनाओं की सतत् निगरानी करेगा तथा उनके रोकथाम व नियंत्रण के सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही करेगा।

(द) यह जनपद में वनाग्नि की घटनाओं के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

(य) जनपद में वनाग्नि की रोकथाम एवं नियंत्रण का प्रबन्धन करेगा व जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेगा।

(3) ब्लॉक संकट प्रबन्धन समूह (बी0सी0जी0)–

(अ)	उपजिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
(ब)	चिकित्सा अधिकारी, पी0एच0सी0	–	सदस्य,
(स)	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष (पुलिस)/राजस्व पुलिस	–	सदस्य,
(द)	खण्ड विकास अधिकारी	–	सदस्य,
(ध)	ब्लॉक प्रमुख	–	सदस्य,
(य)	ग्राम प्रधान	–	सदस्य,
(र)	वन रेंजर/उप वन रेंजर	–	सदस्य, सचिव।

ब्लॉक स्तरीय संकट ग्रुप (बी0सी0जी0) के अधिकार–

(अ) ब्लॉक स्तरीय संकट ग्रुप रेन्ज/बीट स्तर पर होगा तथा वनाग्नि की रोकथाम व नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा।

(ब) वनाग्नि के नियंत्रण के लिए मानव संसाधन को संगठित व चलायमान करेगा।

(स) वनाग्नि प्रबन्धन में संलिप्त स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देगा।

(द) वनाग्नि के रोकथाम व नियंत्रण के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा।

3. वनाग्नि के प्रबन्धन व नियंत्रण के लिए वन विभाग नोडल विभाग होगा।

4. योजनाओं व कार्यक्रमों के निर्माण हेतु नोडल विभाग उत्तरदायी होगा।

5. वनाग्नि सेल का गठन प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय में होगा।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

02 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 15/वि0स0/468/अधि0/2012–इस सचिवालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 728/वि0स0/03/अधि0/2000, दिनांक 10 मई, 2012, द्वारा वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में सृजित सुरक्षा अधिकारी

के 01 (एक) अस्थायी पद के सापेक्ष श्री प्रदीप कुमार गुणवन्त, मार्शल, विधान सभा को आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, एतद्द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। श्री प्रदीप कुमार गुणवन्त, पूर्व की भांति मार्शल, विधान सभा के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

विज्ञप्ति

09 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 60/वि0स0/97/अधि0/2001—वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री पदमेन्द्र सिंह नेगी, निजी सचिव, विधान सभा सचिवालय, जिनकी जन्मतिथि 15.06.1953 है। अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग—1

अधिसूचना

नियुक्ति

08 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 1/नो0—ए0/xxxvi (1)/2013—02 नो0—ए0/2011—नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 08—01—2013 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय, देहरादून के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री संजय शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 1-No-A/xxxvi(1)/2013-02 No-A/2011**, dated January 08, 2013 for general information :

NOTIFICATION

Appointment

January 08, *2013*

No. 1-No-A/xxxvi(1)/2013-02 No-A/2011--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Sanjay Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 08.01.2013 for District Headquarter, Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Sanjay Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary-cum-L.R.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश

10 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 2790 / X–1–2013–4(26) / 2008–श्री प्रकाश भटनागर, भारतीय वन सेवा (1981), को प्रमुख वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 75,500–80,000, ग्रेड पे शून्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

10 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 2791 / X–1–2013–4(18) / 2009–भारतीय वन सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक, वेतनमान, ₹ 67,000–79,000 (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि), के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर तैनात किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच वर्ष
1.	श्री डी0 बी0 एस0 खाती	1984
2.	श्री शशि कुमार दत्त	1984
3.	डॉ0 राकेश कुमार शाह	1984

2. उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

20 दिसम्बर, 2012 ई0

संख्या 1818 / XXX–1–2012–26(1)11–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2011 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति पत्रांक 495 / 18 / E–2 / (CJ–JD) / 2010–11, दिनांक 06.06.2012 तथा इस सम्बन्ध में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या 6757 / XIII-d-1 / Admin.A / 2009, दिनांक 18.12.2012, द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में महामहिम श्री राज्यपाल, नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान ₹ 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770 में प्रस्तर–2 एवं 3 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ नियुक्ति प्रदान करते हुए दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का जनपद
01	02	03
1.	सुश्री इन्दु शर्मा	नैनीताल
2.	सुश्री सीमा डुँगराकोटी	गरूड़, जनपद बागेश्वर
3.	सुश्री आरती सरोहा	हल्द्वानी, जनपद नैनीताल
4.	सुश्री नेहा कय्यूम	रुड़की, जनपद हरिद्वार
5.	श्रीमती पायल सिंह	जोशीमठ, जनपद चमोली

2. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या 71/2012 (एस0बी0) सुरेन्द्र सिंह बनाम लोक सेवा आयोग में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

3. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम नियुक्ति पर तैनाती विषयक उक्त प्रस्तर–1 की तालिका के स्तम्भ–3 में निर्दिष्ट जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी योगदान आख्या दिनांक 02 जनवरी, 2013 से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2013 ई0

संख्या 08/xxxii/03 (पाँच) (10)/2012–तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्थाधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 पर पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री आलोक सिंह चौहान, व्यवस्थाधिकारी,
2. श्री प्यारे लाल, व्यवस्थाधिकारी,
3. श्री रामनाथ, व्यवस्थाधिकारी,
4. श्री महेश चन्द्र लोहनी, व्यवस्थाधिकारी,
5. श्री राम दत्त पाण्डे, व्यवस्थाधिकारी।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारियों के पद पर नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. सम्बन्धित वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/94–भाग 1–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 फरवरी, 2013 ई0 (माघ 13, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, "जल भवन",
बी–ब्लॉक, नेहरु कालोनी, देहरादून

30 जनवरी, 2013 ई0

पत्रांक/5722/वि0अनु0/02/टैरिफ/2012–13–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश संख्या 118/उन्तीस (1)/2013–(59पे0)/2004 पेयजल अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के अनुपालन में उत्तराखण्ड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची में दर्शायी गयी पुनरीक्षित दरें सरकारी गजट में प्रकाशित कर, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करता है।

1. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्याँकन (Annual Rental Value) पर 15 एम0एम0 के संयोजन हेतु–

क्र0 सं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	₹ 360.00 तक	90.00	95.00	102.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	95.00	102.00	110.00
3.	₹ 2,001.00 से 3,500.00 तक	112.00	120.00	135.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	150.00	164.00	187.00
5.	₹ 6.001.00 से 8,000.00 तक	179.00	187.00	224.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00 तक	209.00	224.00	239.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	224.00	239.00	260.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	239.00	260.00	275.00
9.	₹ 14,001.00 से अधिक	325.00	350.00	375.00

नोट–(1) नगर क्षेत्र में जिन भवनों में अध्यासी द्वारा अलग से संयोजन लिया हुआ है किन्तु उनके नाम से वार्षिक मूल्यांकन अंकित नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं से ₹ 360.00 तक के लिये निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा।

(2) ऐसे स्थान जहां पर गुरूत्व, लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(3) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

2. घरेलू न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) (₹ प्रतिमाह) नगरीय एवं ग्रामीण, 15 एम0एम0 से अतिरिक्त मीटर साईज के कनैक्शन हेतु :–

क्र0 सं0	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	20	380.00	450.00	520.00
2.	25	600.00	750.00	900.00

टिप्पणी–

(क) घरेलू उपयोग के लिये 25 एम0एम0 फेरूल साईज से ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद्/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कालोनी एवं सरकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम0एम0 व्यास से अधिक के वर्तमान जल संयोजनों के लिये दरें, अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित की जायेंगी। अघरेलू की अन्य दरें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी।

(ख) ऐसे स्थान जहां पर गुरूत्व, लौहेड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(ग) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

3. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह जहां भवन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू जलापूर्ति–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	एक टोंटीयुक्त जल संयोजन	55.00	60.00	67.00
2.	दो टोंटीयुक्त जल संयोजन	67.00	75.00	90.00
3.	तीन टोंटीयुक्त जल संयोजन	90.00	112.00	135.00
4.	चार टोंटीयुक्त या उससे अधिक	112.00	135.00	150.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

4. जल मूल्य दरें (अघरेलू मीटरयुक्त संयोजन) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1	2	3	4	5
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र–			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	12.50	15.60	18.75
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	11.00	12.50	16.50
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद्	10.50	12.00	16.50

1	2	3	4	5
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि0 बहुउद्देशीय	10.50	10.50	16.50
3.	ग्रामीण क्षेत्र	10.50	10.50	16.50

नोट–(1) जलमूल्य बिल के निर्गम तिथि के 30 दिवस के अन्तर्गत भुगतान करने पर जलमूल्य धनराशि के 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल चालू वर्ष की मांग पर अनुमन्य होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

5. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ (15 एम0एम0 मीटर अघरेलू जलापूर्ति हेतु)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र–			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	415.00	550.00	700.00
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	380.00	450.00	520.00
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद्	375.00	425.00	485.00
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि0 बहुउद्देशीय	235.00	315.00	350.00
3.	ग्रामीण क्षेत्र	175.00	195.00	235.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 10 किलोलीटर तक खपत के लिये है।

(2) न्यूनतम प्रभार पर छूट देय नहीं होगी अर्थात् 10,000 लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(3) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लाण्ट, गैराज सर्विस, स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय–समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।

(5) ऐसे स्थान जहां गुरूत्व लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जाएगा।

(6) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

6. जलमूल्य दरें (मीटरयुक्त घरेलू संयोजन हेतु) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	घरेलू दरें, मीटर युक्त (दर रु0 प्रति कि0ली0)			
	(क) नगर क्षेत्र	4.00	5.50	6.25
	(ख) ग्रामीण क्षेत्र	3.10	4.70	6.25

नोट–(1) निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट वर्ष की चालू मांग पर देय होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (अ) घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज) प्रतिमाह प्रति संयोजन–

क्र0 सं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर
1.	₹ 360.00 तक	12.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	18.00
3.	₹ 2,001 से 3500.00 तक	27.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	30.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	35.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00	40.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	45.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	50.00
9.	₹ 14,001.00 से ऊपर	60.00

नोट–(1) उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (ब) अघरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के सीवर उपभोक्ताओं के लिये प्रतिसीट प्रतिमाह सीवर शीट चार्ज–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	अघरेलू श्रेणी प्रतिशीट प्रतिमाह	27.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

8. विकास शुल्क (₹ में)–

घरेलू/अघरेलू जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था पर पूंजिगत व्यय के लिये विकास शुल्क (प्लाट एरिया पर) ₹ में निम्नानुसार होगा :–

परिक्षेत्र	विकास शुल्क (जलापूर्ति व्यवस्था)					
	गुरूत्व		लोहैड		हाईहैड	
	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00
	विकास शुल्क (सीवर व्यवस्था)					
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 100 वर्गमीटर प्लॉट एरिया के लिये निर्धारित है किन्तु जल/सीवर संयोजन के आवेदन पर निम्न आय वर्ग वाले जिनका प्लॉट एरिया 100 वर्गमीटर से कम है, ऐसे आवेदकों से वास्तविक प्लॉट एरिया पर न्यूनतम प्रभार के स्थान पर प्रतिवर्गमीटर हेतु निर्धारित दर से विकास शुल्क लिया जायेगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

9. मीटर किराये की दरें प्रतिमाह (₹ में)–

क्रमांक	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर
1.	15	7.50
2.	20	9.00
3.	25	12.00
4.	32	13.00
5.	40	15.00
6.	50	22.00
7.	80	30.00
8.	100	45.00
9.	150 और उससे अधिक	60.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

10. औद्योगिक, व्यावसायिक, भवन निर्माण आदि हेतु न्यूनतम दरें न्यूनतम प्रभार (अघरेलू) रु0 प्रतिमाह–

क्र0 सं0	मीटर साईज (एम0 एम0)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक			अन्य व्यवासायिक प्रतिष्ठान			अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान			म्यूनिसिपल बहुउद्देशीय			छावनी परिषद्		
		गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड
1.	20	1047	1196	1346	1047	1196	1346	523	598	673	523	598	673	523	598	673
2.	25	2243	2542	2691	2243	2542	2691	1121	1271	1346	1121	1271	1346	1121	1271	1346
3.	50	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934
4.	80	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027
5.	100	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764
6.	150	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010

टिप्पणीः (1) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिये–

(क) ₹ 45.00 प्रतिवर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर अथवा जहां नक्शा नहीं पारित हो, वहां भू–खण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक मुश्त।

(ख) निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के डेढ़ वर्ष के पश्चात् जल उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा। डेढ़ वर्ष में निर्माण कार्य पूरा न होने पर सम्पत्ति के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य लिया जायेगा।

(ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रिम जलमूल्य का समायोजन किया जायेगा, परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपयुक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो शेष धनराशि वापस नहीं की जायेगी। इस धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(2) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लॉण्ट, गैराज सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय–समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

(3) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) निर्माण हेतु 25 एम0एम0 से ऊपर के जल संयोजन नहीं दिये जायेंगे।

(5) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

11. विलम्ब शुल्क–

उत्तराखण्ड जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था के स्थान पर अब "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा :–

(1) न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिये 5.00 प्रतिशत मासिक दर से "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा।

12. सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज)–

(1) प्रति परिवार प्रतिमाह ₹ 10.00।

(2) परिवार का अर्थ एक चूल्हे पर बने खाने से है।

(3) निर्धारित समय अवधि के अन्दर बीजक का भुगतान करने पर ₹ 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति परिवार प्रतिमाह छूट देय होगी।

13. विविध शुल्क

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	जल संयोजन प्रार्थना–पत्र शुल्क	25.00
2.	जल संयोजन विच्छेदन शुल्क	500.00
3.	जल संयोजन पुनर्संयोजन शुल्क	500.00
4.	सीवर संयोजन शुल्क (प्रति संयोजन)	25.00
5.	सार्वजनिक मार्ग पर निर्मित होने वाले मेनहॉल बोरिंग शुल्क	250.00
6.	मेन हॉल बोरिंग शुल्क	100.00
7.	मीटर टेस्टिंग शुल्क	
	(अ) 15 एम0एम0 से 25 एम0एम0	50.00
	(ब) 50 एम0एम0 से 150 एम0एम0	100.00

नोट–(1) अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक, बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विविध शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

(2) एक जल संयोजन के लिये जलमूल्य की दरों पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ, दिनांक 01.01.2013

से उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशनरों को प्रचलित टैरिफ पर अनुमन्य होगा।

(3) उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जिन दरों को पुनरीक्षित या समाप्त नहीं किया गया है, वह पूर्व प्रभावी टैरिफ की व्यवस्थानुसार यथावत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ प्रभावी रहेंगी।

(4) राजपत्र दिनांक 31–12–2005, भाग 1–क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

(5) सभी श्रेणी की दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि ठीक एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगी अर्थात आगामी वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को होगी।

डी0 डी0 डिमरी,
मुख्य महाप्रबन्धक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/94–भाग 1–क–2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।